संख्या-2/2022/105/43-2-2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2022**

विषय- **सचिवालय की कार्य प्रक्रिया में विलम्ब की रोकथाम हेतु विभागों द्वारा व्यवहृत किए जा रहे कार्यों हेतु प्रस्तुतीकरण का चैनल एवं निर्णय का स्तर निर्धारित किया जाना।**

महोदय,

सामान्यत: यह अनुभव किया जा रहा है कि शासन स्तर पर विभागों में संदर्भों तथा पत्रावलियों को सम्बन्धित अनुभागों में तैयार किए जाने के बाद उन्हें उच्चादेशों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्राय: सारी पत्रावलियां 5-6 स्तरों पर व्यवहृत की जाती हैं। इस कारण जहां विभागों में निर्णय-प्रक्रिया में अपेक्षित गति दृष्टिगोचर नहीं होती वहीं महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय लिए जाने तथा सुसंगत आदेश जारी किए जाने में अत्यधिक विलम्ब होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी पत्रावलियां उच्चादेशों की प्रक्रिया में अनुसचिव/उपसचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव तथा अंत में सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव के स्तर पर देखी जाएं। अनेक प्रकरणों में सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव के पश्चात् पत्रावलियां मा0 विभागीय मंत्री तथा मा0 मुख्यमंत्री जी को भी प्रस्तुत की जाती हैं। जनहित में महत्वपूर्ण नीतियां, नीति विषयक निर्णय तथा अन्य आदेश शीघ्रता से जारी किया जाना आवश्यक होता है ताकि उसका लाभ नियमित समयावधि में प्रदेश के लाभार्थियों को उपलब्ध हो सके।

2- सचिवालय नियम-संग्रह के प्रस्तर-11 में यह उल्लिखित है कि विभागों द्वारा व्यवहृत किए जा रहे विभिन्न प्रकार के मामलों में निर्णय का स्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो यह निर्देश देगा कि कौन सा मामला अथवा किस प्रकार के मामले उनकी व्यक्तिगत जानकारी में लाए जाएंगे और किस प्रकार के मामले सचिव अथवा उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों द्वारा निस्तारित किए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि विभागों द्वारा व्यवहृत किए जाने वाले कार्यों के निर्णय का स्तर निर्धारित किए जाने की शक्ति विभागों के मा0 मंत्रीगणों में निहित है।

3- प्रत्येक विभाग व्यवहृत किए जा रहे कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु मा0 मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुतीकरण के चैनल एवं निर्णय का स्तर निर्धारित करें। विभागीय आन्तरिक कार्य बंटवारे में यह व्यवस्था भी की जाए कि अन्तिम निर्णयकर्ता को सम्मिलित करते हुए पत्रावली अधिकतम 04 स्तर से अधिक स्तर पर न प्रस्तुत हो। सामान्यत: यह प्रयत्न किया जाए कि पत्रावली निर्णय हेतु 03 स्तर पर ही प्रस्तुत हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्रत्येक विभाग व्यवहृत किए जा रहे कार्यों हेतु पत्रावलियों के प्रस्तुतीकरण का चैनल एवं निर्णय का स्तर निर्धारित कराते हुए 03 सप्ताह के अन्दर संलग्न प्रपत्र पर प्रशासनिक सुधार विभाग की ईमेल आई0डी0-ard092156@gmail.com पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। एक माह पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में समीक्षा की जाएगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभागों में व्यवहृत किए जा रहे कार्यों हेतु निर्णय/आदेश का स्तर

क्र0 सं0	विभागों में व्यवहृत होने वाले विभिन्न प्रकार के मामले	प्रस्तुतीकरण का स्तर (Submission Channel)				निर्णय के स्तर जो निर्धारित किए गए हैं। (Level of Decision)
		अनुसचिव/ उपसचिव	संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा0 मंत्री/ मा0 मुख्यमंत्री जी	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।